

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 01.01.20

संख्या-12/प0-5001/2017-सा0प्र0- 23 / विभागीय आदेश ज्ञापांक-17523 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों के काउन्सिलिंग का कार्य करने हेतु दिनांक 26.12.2019 से कार्य समाप्ति तक के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के कार्यालय में की गयी प्रतिनियुक्त से श्री नजर हुसैन, बि0प्र0से0,को0 क0-933/11, उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री ललन प्रसाद, बि0प्र0से0, को0 क0-1189/11, (मो0 नं0-7558872423) सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों के काउन्सिलिंग का कार्य करने के लिए दिनांक 03.01.2020 से कार्य समाप्ति तक के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी काउन्सिलिंग का कार्य समाप्त होने के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/2017-सा0प्र0- 23 / पटना, दिनांक- 01.01.20

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव